न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,संख्या–एक, केकड़ी. (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : रमेश कुमार करोल (आर.जे.एस.)

आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या : 115/2018

सी.आई.एस. संख्या : 180/2018

लाभचंद जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन निवासी गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर

–परिवादी

बनाम

राजेश कुमार पुत्र कालूराम निवासी खाती मोहल्ला, पुरानी केकड़ी जिला अजमेर

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881

उपस्थितः–

1. परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहिंदर जोशी।
2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्यकांत दाधीच।

निर्णय **दिनांक 13.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी लाभचंद जैन **(आगे परिवादी से उल्लेखित)** की ओर से अभियुक्त राजेश कुमार **(आगे अभियुक्त से उल्लेखित)** के विरूद्ध परिवाद इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त व परिवादी आपस में अच्छी तरह से परिचित है। इसी के चलते अभियुक्त ने परिवादी से घरेलु व पारिवारिक आवश्यकता हेतु 2,00,000/– उधार लिये। जिसकी अदायगी पेटे एक चैक संख्या 006761 राशि 2,00,000/– रूपये दिनांक 22.09.2017 का भरकर दिया। अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षरित उक्त चैक को अभियुक्त के कहे अनुसार परिवादी ने संबंधित बैंक खाते में पैसे जमा कराने हेतु वास्ते संग्रहण एवं भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जहां से उक्त चैक को खाते में **अपर्याप्त राशि** के पृष्ठांकन से अनादरित कर जरिये अनादरण मीमो परिवादी को लौटा दिया गया। जिसके उपरांत परिवादी ने अपने अधिवक्ता के जरिए रजिस्टर्ड डाक एवं साधारण डाक से एक विधिक नोटिस **(आगे विधिक नोटिस से उल्लेखित)** दिनांक 07.10.2017 को अभियुक्त को प्रेषित किया, जो उसे तामील हो चुका है। अभियुक्त ने चैक में वर्णित राशि का भुगतान

आज दिनांक तक परिवादी को नहीं किया। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 **(आगे अधिनियम से उल्लेखित)** के तहत दण्डनीय अपराध है एवं उक्त चैक में वर्णित राशि मय शास्ति हर्जे–खर्चे के साथ दिलवाए जाने का निवेदन किया.......आदि।

2. परिवाद के समर्थन में परिवादी ने धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (आगे दण्ड प्रक्रिया संहिता से उल्लेखित) के प्रावधानों के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेजों के रूप में विवादित चेक, चेक अनादरण मीमो **(आगे अनादरण मीमो से उल्लेखित)**, विधिक नोटिस, डाक रसीद, प्राप्ति आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. अभियुक्त के विरूद्ध अधिनियम की धारा 138 अपराध प्रथम दृष्टया बनने पर उसके विरूद्ध उक्त अपराध का दिनांक 08.02.2018 को प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया व अभियुक्त के उपस्थित आने पर अभियुक्त को अधिनियम की धारा 138 (आगे आरोपित अपराध से उल्लेखित) के अपराध का आरोप सारांश सुनाया व समझाया गया। जिसे सुन, समझकर अभियुक्त ने अपराध के आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए परिवादी ने स्वयं को पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित कराया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत 6 प्रदर्शित करवाये गये। परिवादी द्वारा और साक्ष्य पेश नहीं करने पर परिवादी की साक्ष्य समाप्त की गई।

5. अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किया गया तो अभियुक्त ने साक्ष्य परिवादी को गलत होना बताया और कथन किया किया कि उसने परिवादी से कोई रूपये उधार नहीं लिये। परिवादी ने चैक का दुरूपयोग किया है। मुलिजम ने परिवादी को कभी चैक नहीं दिया एवं साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श डी 01 वकालतनामा पेश कर प्रदर्शित किया गया।

6. बहस अंतिम सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता परिवादी का यह तर्क रहा है कि परिवादी ने प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अभियुक्त द्वारा चेक पर अपने हस्ताक्षर विवादित नहीं किये हैं तथा उक्त चेक के अनादरण के संबंध में विहित परिसीमा में नोटिस अभियुक्त को प्रेषित करवाया गया है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध तथा परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत

उपधारणा सृजित होती है, जिसे अभियुक्त की ओर से खण्डित नहीं किया गया है। अभियुक्त की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने परीक्षण में यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि उसके द्वारा जो राशि उधार ली थी, उसका भुगतान परिवादी को कर दिया गया था। इस प्रकार परिवादी ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने मामले को संदेह से परे साबित किया है। अन्त में अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर विधिनुसार दण्ड तथा चेक की दुगनी राशि के जुर्माने से दण्डित करने तथा उक्त राशि परिवादी को बतौर प्रतिकर दिलवाये जाने का निवेदन किया है।

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया है व तर्क दिया है कि मुलजिम ने परिवादी को कभी चैक नहीं दिया एवं न ही कोई रूपये उधार लिये हैं। परिवादी द्वारा अभियुक्त को जो नोटिस प्रेषित किया गया है, वह कभी अभियुक्त को प्राप्त ही नहीं हुआ क्योंकि परिवादी द्वारा खाती मोहल्ला पुरानी केकड़ी में नोटिस प्रषित किया गया है जबकि अभियुक्त खाती मोहल्ला में न रहकर खाईगढ़ मोहल्ला में निवासरत है एवं प्राप्ति पर अभियुक्त के हस्ताक्षर भी नहीं है तो एेसे में यह साबित नहीं होता है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को नोटिस प्रेषित किया गया हो एवं उक्त नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया हो। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा परिवादी से कोई विधिक ऋण नहीं लिया गया है। अभियुक्त परिवादी के भाई से सामान खरीदता था एवं व्यवसायी लेनदेन की एवज में अभियुक्त ने चैक को परिवादी के भाई को दिया था, जिसका परिवादी द्वारा दुरूपयोग किया गया है। परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त को रूपये देने के तथ्य के संबंध में गंभीर विरोधाभासी कथन किये गये है परिवादी ने अपने परिवाद एवं साक्ष्य में यह कहीं भी वर्णित नहीं किया है कि उसने अभियुक्त को कब रूपये उधार दिये। परिवादी द्वारा झूंठे तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. दीपक लोहिया बनाम निर्मला देवी 2025 सुप्रीम (राज.) 1432
2. सी.सी. अलावी हाजी बनाम पलापेट्टी मुहम्मद (2007) 6 एस.सी.सी 555
3. जॉन के अब्राहम बनाम सीमोन सी अब्राहम (2014) 2 SCC 236

8. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न बिन्दु उत्पन्न होता है किः–

1. क्या अभियुक्त ने आपसी व्यवहार होने से परिवादी से उधार प्राप्त की गई राशि के भुगतान पेटे चैक संख्या 006761 राशि 2,00,000/– रूपये दिनांक 22.09.2017 का परिवादी को दिया, जो परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान प्राप्ति हेतु प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा **''अपर्याप्त राशि''** के पृष्ठांकन से अनादरित किये जाकर परिवादी को लौटाया गया। इसके उपरांत चैक अनादरण की सूचना जरिये नोटिस प्रेषित किये जाने के बावजूद अभियुक्त ने चैक में वर्णित राशि का भुगतान विहित समयावधि में परिवादी को नहीं कर धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित किया?

2. यदि हां, तो उक्त अपराध का उचित दण्ड क्या होगा? ''

9. उक्त विचारणीय बिन्दु की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो उभय पक्षों की ओर से चेक अभियुक्त के बैंक खाते का होना, चेक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने, चेक को वैधता अवधि के दौरान समाशोधन हेतु प्रस्तुत करने, चेक **अपर्याप्त निधि** के रिमार्क से अनादरित हो जाने से संबंधित तथ्यों के संबंध में विवाद नहीं किया गया है। अतः इन तथ्यों की हद तक उभय पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों व प्रस्तुत साक्ष्य का उल्लेख व विवेचन सुसंगत नहीं है।

10. विचारणीय प्रश्न के संबंध में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम यह अवधारित किया जाना है कि:– क्या परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का सृजन हुआ है ? उपधारणा के सृजन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त Aps Forex Services Pvt. Ltd. vs Shakti International Fashion, 2020 SCC online sc 193 में यह मार्गदर्शन किया गया है कि Section 139 of the Act is an example of reverse onus clause and therefore once the issuance of the cheque has been admitted and even the signature on the cheque has been admitted, there ia always a presumption in favour of the complainant that there exists legally enforceable debt or liability and thereafter it is for the accused to rebut such presumption by leading evidence. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Basalingappa vs. Mudibasappa (2019) 5 SCC 418** में चैक अनादरण के मामलों में प्रतिफल के संबंध में सृजित होने वाली विधिक उपधारणा के संबंध में अपना मत प्रतिपादित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– “23. We having noticed the ratio laid

down by this Court in above cases on Sections 118(a) and 139, we now summarise the principles enumerated by this Court in following manner:-(i) Once the execution of cheque is admitted Section 139 of the Act mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt or other liability. (ii) The presumption under Section 139 is a rebuttable presumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. The standard of proof for rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities. (iii) To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or accused can also rely on the materials submitted by the complainant in order to raise a probable defence. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on record by the parties but also by reference to the circumstances upon which they rely. (iv) That it is not necessary for the accused to come in the witness box in support of his defence, Section 139 imposed an evidentiary burden and not a persuasive burden. (v) It is not necessary for the accused to come in the witness box to support his defence.”

इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करने पर परिवादी के पक्ष में उपधारणा का सृजन होता है, बशर्ते उपधारणा के सृजन के लिए परिवादी द्वारा प्रारम्भिक आधार तथ्यों को स्थापित किया गया हो।

11. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में विवादित चेक प्रदर्श पी 02 दिनांक 22.09.2017 राशि 2,00,000/– रूपये का है, जो विधितः अवधि के दौरान समाशोधन हेतु परिवादी बैंक द्वारा अपने बैंक में प्रस्तुत किया जाना परिवाद पत्र में अंकित किया है। चेक पर अभियुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर होने का तथ्य किसी भी स्तर पर विवादित नहीं किया गया है। चेक बैंक द्वारा **अपर्याप्त निधि** के रिमार्क के साथ अनादरित किया गया है, जो परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न मीमो से से प्रकट होता है। जहां तक नोटिस का संबंध है तो परिवादी द्वारा प्रदर्श पी 04 नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक रसीद प्रदर्श पी 06 प्रेषित किया गया, जिसकी प्राप्ति प्रदर्श पी 05 है। बचाव पक्ष द्वारा किसी भी स्तर पर यह प्रतिरक्षा नहीं रही है कि परिवादी द्वारा नोटिस भेजे जाने एवं उस पर तामिल होने के 15 दिवस के अन्दर चेक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करने पर परिवादी को हेतुक उत्पन्न होने से

एक माह के भीतर दिनांक 8.11.2017 को परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। ऐसे में चेक पर अभियुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर प्रकट होने के रिमार्क के साथ उपधारणा के प्रयोजन से प्राथमिक तथ्यों को स्थापित करने से परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का सृजन होता है।

12. क्या अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणा का खण्डन किया गया है ?

13. उक्त विचारणीय प्रश्न के संदर्भ में परिवादी गवाह पी.ड. 1 के रूप में उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं शपथ पत्र की ताईद की है। परिवादी पी.ड. 1 की प्रतिपरीक्षा का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने कथन किया है कि वकालतनामे पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 02 चैक पर उसकी हैड राइटिंग नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 02 पर ए से बी लिखावट व किये गये हस्ताक्षर में अंतर है एवं प्रदर्श पी 05 पर डाक विभाग की सील लगी हुई नहीं है स्वयं कहा कि डाक विभाग की सील लगी हुई है। वह राजेश को जानता है। राजेश उसके छोटे भाई की दुकान पर आता–जाता रहता है। प्रदर्श डी 01 में ए से बी मुलजिम राजेश माली का नाम व एड्रेस सही है। यह सही है कि प्रदर्श डी 01 में पता व नाम जो ए से बी के मध्य अंकित है, वह प्रदर्श पी 04 में ए से बी के मध्य अंकित नहीं है। प्रदर्श पी 02 को बैंक में जमा करवाने की रसीद पेश नहीं की है। वह इनकम टैक्स नहीं भरता है। दो लाख रूपये की राशि खेती व दुकान से प्राप्त हुई है। राजेश को राशि अप्रेल में दी थी, जिसकी दिनांक उसे आज याद नहीं। उक्त राशि उसने उसके छोटे भाई की दुकान पर दी थी। यह सही है कि राजेश उसके भाई की दुकान से एल्युमिनियम का सामान खरीद करता है। यह सही है कि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो कि अभियुक्त ने किस विधिक ऋण या दायित्व के एवज में उसे दो लाख रूपये का चैक दिया हो। चैक प्रदर्श पी 02 पर शब्दों व अंकों में राशि का अंकन उसने नहीं किया। उक्त राशि उसने केकड़ी कोटा रोड़ स्थित उसकी दुकान पर दी थी। पैसे दिये जब उसके साथ कौन–कौन था, वह यह नहीं बता सकता। यह सही है कि प्रदर्श पी 04 में अंकित पता राजेश का स्थाई पता हो, ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। राजेश एल्युमिनियम का काम करता हो, वह यह नहीं बता सकता। उसके भाई की दुकान पर राजेश के आने–जाने से उसकी जानकारी हुई, जो सालभर पहले हुई। राजेश के कितने भाई और बहनें है, वह नहीं बता सकता। उसे पता नहीं कि राजेश का मकान एक मंजिला है या दो मंजिला। वह उसके घर कभी नहीं गया। राजेश उसके भाई की दुकान पर माल लेने आता था, जो

एल्युमिनियम का माल लेने आता था। उसके भाई की दुकान आदिनाथ एल्यूमिनियम के नाम से है एवं वह मोबाइल की दुकान पर काम करता है। वह पहले मोबाईल की दुकान पर काम करता था एवं अब आदिनाथ एल्यूमिनियम की दुकान पर काम करता है। यह कहना गलत है कि राजेश ने अपने आदिनाथ एल्यूमिनियम से व्यवसायी लेनदेन की एवज में अपना चैक आदिनाथ एल्यूमिनियम को दे रखा हो और उसने चैक का दुरूपयोग किया हो। वह अपने भाई के किसी मित्र को एेसे ही पैसे उधार नहीं देता। राजेश के घर पर कोई बीमार था, यह कहकर उससे पैसा लेकर गया। आदिनाथ एल्युमिनियम के पहले मालिक राजेन्द्र कुमार जी थे। यह कहना गलत है कि वह राजेश से कोई पैसा नहीं मांगता हो।

14. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में आक्षेपित डिमांड नोटिस अभियुक्त को कभी प्राप्त ही नहीं हुआ अपितु परिवादी ने पते पर नोटिस नहीं भेजकर किसी अन्य पते पर नोटिस भेजा है। ऐसे में प्रकरण में धारा 138 एन आई एक्ट के तहत आज्ञापक समस्त शर्तों की पूर्ति होना नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत अधिवक्ता परिवादी का यह तर्क रहा है कि परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस अभियुक्त को तामील हो गया था, जो परिवादी द्वारा अभियुक्त को सही पते पर प्रेषित किया गया था।

15. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा भेजा गया नोटिस अभियुक्त के सही पते पर भेजा गया था या नहीं, यह स्वयं परिवादी की साक्ष्य से ही संदिग्ध प्रतीत होता है। परिवादी द्वारा नोटिस “खाती मोहल्ला” के पते पर भेजा गया बताया गया है, जबकि अभियुक्त ने अपने मोहल्ले का नाम “खाईगढ़ मोहल्ला” बताया है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि स्वयं परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि अभियुक्त का पता खाईगढ़ मोहल्ला ही है। इस प्रकार स्वयं परिवादी की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस पते पर नोटिस भेजा गया वह अभियुक्त का वास्तविक पता नहीं था। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि नोटिस की पावती रसीद पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा डाक विभाग की ऐसी कोई स्पष्ट मोहर भी अंकित नहीं है जिससे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो सके कि उक्त नोटिस अभियुक्त को वास्तव में प्राप्त हुआ था। परिवादी की प्रतिपरीक्षा से यह भी स्पष्ट होता है कि नोटिस से संबंधित दस्तावेजों में पता एकरूप नहीं है तथा कुछ दस्तावेजों में पते का उल्लेख भिन्न–भिन्न प्रकार से किया गया है।

16. इन परिस्थितियों में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या मात्र नोटिस भेज देने से ही यह माना जा सकता है कि नोटिस की विधिक तामील हो गई थी। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **दीपक लोहिया बनाम निर्मला देवी 2025 सुप्रीम (राज.) 1432** के पैरा संख्या 12 में माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि

> "इस संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 27 के अंतर्गत विधिक उपधारणा प्रासंगिक हो जाती है। यह प्रावधान निर्धारित करता है कि जहाँ कोई दस्तावेज़ उचित रूप से संबोधित, पूर्व–भुगतान किया हुआ और पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात पते पर भेजा जाता है, वहाँ तामील हो गई मानी जाएगी, जब तक कि विपरीत सिद्ध न हो जाए। हालाँकि, यह उपधारणा पूर्ण नहीं है; यह तभी लागू होती है जब शिकायतकर्ता संतोषजनक रूप से यह सिद्ध कर दे कि जिस पते पर नोटिस का वास्तविक और अभ्यस्त निवास था। ऐसे प्रमाण के अभाव में, तामील की भेजा गया था, वह वास्तव में में उस समय अभियुक्त को उपधारणा शिकायतकर्ता के लाभ के लिए लागू नहीं की जा सकती।"

17. इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 138 के अंतर्गत वाद कारण तभी उत्पन्न होता है जब यह सिद्ध हो कि नोटिस अभियुक्त को विधिवत् तामील हुआ था। यदि यह सिद्ध नहीं होता कि नोटिस सही पते पर भेजा गया था अथवा अभियुक्त उस पते पर निवास करता था, तो मात्र नोटिस भेज देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। उक्त निर्णय में यह भी कहा गया है कि धारा 27 सामान्य धारणा अधिनियम के अंतर्गत सेवा की उपधारणा तभी उत्पन्न होती है जब यह सिद्ध हो कि नोटिस अभियुक्त के सही पते पर भेजा गया था। यदि पता ही गलत है या परिवादी स्वयं सही पते से अवगत था और इसके बावजूद नोटिस अन्य पते पर भेजा गया, तो सेवा की विधिक उपधारणा लागू नहीं हो सकती।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **C.C. Alavi Haji बनाम Palapetty Muhammed** प्रकरण में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "नोटिस की सेवा की उपधारणा तभी लागू होती है जब नोटिस सही पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया हो। यदि नोटिस सही पते पर भेजा गया हो तो यह माना जा सकता है कि वह

सामान्य डाक प्रक्रिया में अभियुक्त तक पहुँच गया होगा, किन्तु यदि पता ही गलत हो तो ऐसी उपधारणा लागू नहीं की जा सकती।" वर्तमान मामले में परिवादी की स्वयं की साक्ष्य यह दर्शाती है कि अभियुक्त का वास्तविक पता "खाईगढ़ मोहल्ला" है, जबकि नोटिस "खाती मोहल्ला" के नाम से भेजा गया। यह अंतर सामान्य या टंकण त्रुटि मात्र नहीं माना जा सकता, बल्कि यह एक ऐसा तथ्य है जो नोटिस की तामील को ही संदिग्ध बना देता है। जब स्वयं परिवादी यह स्वीकार करता है कि अभियुक्त का पता भिन्न है, तब यह अपेक्षित था कि नोटिस उसी सही पते पर भेजा जाता। इस न्यायालय का यह भी मत है कि नोटिस की पावती रसीद पर अभियुक्त के हस्ताक्षर का अभाव तथा डाक विभाग की स्पष्ट मोहर का न होना भी इस तथ्य को पुष्ट करता है कि नोटिस की वास्तविक तामील सिद्ध नहीं हो पाई है। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि विधिक नोटिस अभियुक्त को वास्तव में प्राप्त हुआ था या विधि अनुसार उसे प्राप्त माना जा सकता है। जब नोटिस की तामील ही सिद्ध नहीं होती, तब धारा 138 के अंतर्गत आवश्यक वाद कारण उत्पन्न ही नहीं होता। इस स्थिति में परिवाद की विधिक आधारशिला ही समाप्त हो जाती है।

19. यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि क्या विवादित चैक किसी वैध एवं विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के निर्वहन हेतु दिया गया था। धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि चैक किसी वास्तविक एवं विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया हो। यदि कथित ऋण का अस्तित्व ही विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता, तो केवल चैक का अस्तित्व या उसका अनादरित होना अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

20. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी कथन रहा है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को कोई रूपये उधार नहीं दिये गये अपितु अभियुक्त न तो परिवादी का कोई पारिवारिक सदस्य है एवं न ही परिवादी का कोई दोस्त है। परिवादी द्वारा अभियुक्त को रूपये देने के संबंध में कोई उचित कारण नहीं बताया गया है कि परिवादी द्वारा बिना किसी जान–पहचान के अभियुक्त को किस प्रकार रूपये उधार दिये गये एवं बिना किसी लिखापढी के रूपये उधार दिये गये जबकि परिवादी अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता–पहचानता था। परिवादी द्वारा अभियुक्त को रूपये उधार देने के संबंध में विभिन्न विरोधाभासी कथन किये गये हैं। परिवादी

एक तरफ तो उसके छोटे भाई की दुकान पर राशि देने का कथन करता है वहीं दूसरी तरफ उक्त राशि केकड़ी कोटा रोड़ स्थित उसकी दुकान पर दिये जाने का कथन करता है। इस प्रकार परिवादी द्वारा किये गये विरोधाभासी कथनों के आधार पर यह दर्शित होता है कि परिवादी ने अभियुक्त को कोई रूपये उधार नहीं दिये एवं अभियुक्त का परिवादी के प्रति कोई विधिक ऋण दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। इसके विपरीत परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से विधिक ऋण लिया गया था, जिसकी एवज में ही अभियुक्त द्वारा विवादित चैक परिवादी को दिया गया था, जो कि अनादरित हो गया था।

21. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की पत्रावली एवं विशेष रूप से परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू.1 की प्रतिपरीक्षा का अवलोकन करने पर अनेक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं, जो कथित ऋण के अस्तित्व को संदेहास्पद बनाते हैं। परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अवश्य कहा है कि अभियुक्त ने उससे घरेलू एवं पारिवारिक आवश्यकता के लिए दो लाख रुपये उधार लिये थे, किन्तु प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह स्वीकार किया है कि उसे यह स्मरण नहीं है कि उक्त राशि किस तिथि को दी गई थी और उसने केवल इतना कहा है कि राशि अप्रैल माह में दी गई थी। इतना ही नहीं, परिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि कथित ऋण के संबंध में कोई लिखित दस्तावेज, रसीद अथवा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्त ने किसी विधिक ऋण या दायित्व के एवज में उसे दो लाख रुपये का चैक दिया था।

22. परिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित चैक पर लिखावट उसकी नहीं है और चैक पर शब्दों एवं अंकों में राशि का अंकन भी उसने नहीं किया है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि जब उसने कथित रूप से अभियुक्त को राशि दी थी तब उसके साथ कौन–कौन उपस्थित थे, यह भी वह नहीं बता सकता। इतने बड़े आर्थिक लेन–देन के संबंध में ऐसी अस्पष्टता स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती। जिरह में परिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त उसके छोटे भाई की दुकान पर आता–जाता था तथा वहां से एल्युमिनियम का सामान खरीदता था। परिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके भाई की दुकान “आदिनाथ एल्युमिनियम” के नाम से है और अभियुक्त का उस दुकान से व्यापारिक संबंध था। परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू.–1 की जिरह का सूक्ष्म परीक्षण करने पर एक

अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। परिवादी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि वह अपने भाई के किसी मित्र को सामान्यतः पैसे उधार नहीं देता। साथ ही उसने यह भी कहा है कि अभियुक्त से उसका परिचय उसके भाई की दुकान पर आने–जाने के कारण हुआ था और वह उसके भाई की दुकान से एल्युमिनियम का सामान खरीदता था। इस प्रकार परिवादी की स्वयं की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त उसके भाई के माध्यम से परिचित व्यक्ति था तथा उसका परिवादी से कोई स्वतंत्र घनिष्ठ संबंध सिद्ध नहीं होता।

23. न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि जब स्वयं परिवादी यह स्वीकार करता है कि वह अपने भाई के मित्रों को सामान्यतः उधार नहीं देता, तब यह कैसे विश्वास किया जा सकता है कि उसने अभियुक्त को, जो उसके भाई की दुकान पर आने–जाने वाला व्यक्ति मात्र था, बिना किसी लिखित दस्तावेज या गवाह के दो लाख रुपये जैसी बड़ी राशि उधार दे दी। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी और अभियुक्त के बीच कोई ऐसा घनिष्ठ संबंध सिद्ध नहीं होता जिससे यह स्वाभाविक लगे कि परिवादी बिना किसी लिखित दस्तावेज के इतनी बड़ी राशि उधार दे देगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **John K. Abraham v. Simon C. Abraham (2014) 2 SCC 236** के मामले में यह प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी कथित ऋण की परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं कर पाता तथा यह भी स्पष्ट नहीं करता कि किन परिस्थितियों में उसने इतनी बड़ी राशि उधार दी, तब न्यायालय को अभियोजन की कहानी को अत्यंत सावधानी से परखना चाहिए और यदि परिस्थितियाँ अविश्वसनीय प्रतीत हों तो धारा 139 की उपधारणा को खंडित माना जा सकता है। इसी प्रकार **Basalingappa v. Mudibasappa (2019) 5 SCC 418** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि परिवादी की स्वयं की साक्ष्य से ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो कथित ऋण की स्वाभाविकता को संदेहास्पद बना देते हैं, तो अभियुक्त धारा 139 की उपधारणा को सफलतापूर्वक खंडित कर सकता है।

24. इन परिस्थितियों में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि परिवादी की साक्ष्य में न केवल आवश्यक स्पष्टता का अभाव है बल्कि उसकी प्रतिपरीक्षा में दिए गए कथन स्वयं उसके कथित ऋण के अस्तित्व को अविश्वसनीय बनाते हैं। फलस्वरूप यह निष्कर्ष सुरक्षित रूप से नहीं निकाला जा सकता कि विवादित चैक किसी वैध एवं प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के निर्वहन हेतु दिया गया था।

25. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में चूंकि परिवादी विचारणीय बिन्दु संख्या–1 पूर्णतया अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है तथा अभियुक्त के पक्ष में तय पाया गया है इसलिये अभियुक्त अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम में दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

26. अतः अभियुक्त **राजेश कुमार पुत्र कालूराम निवासी खाती मोहल्ला, पुरानी केकड़ी जिला अजमेर** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट में सदेंह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत एवं मुचलके अंतर्गत धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता आगामी छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

{ रमेश कुमार करोल }
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या–एक, केकड़ी

27. निर्णय आज दिनांक 13 मार्च 2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ रमेश कुमार करोल }
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या–एक, केकड़ी.